ताम्र युग

संदर्भ: प्राचीन मानव जीनोमिक डेटा से पता चलता है कि ताम्र युग के किसानों और मैदानी चरवाहों ने अनुमान से 1,000 साल पहले बातचीत की होगी।

मुख्य बिंदु

- पिछले जीनोमिक विश्लेषणों ने पश्चिमी यूरेशिया में दो प्रमुख आनुवंशिक घटनाओं की पहचान की- एक खेती के प्रसार (7,000-6,000 ईसा पूर्व) से जुड़ा हुआ है और दूसरा स्टेपी पेस्टोरालिस्ट विस्तार (3,300 ईसा पूर्व) से जुड़ा है।
- इसके बाद ताम्र युग आया, जिसमें धातु विज्ञान, पहिया और गाड़ी का उपयोग तथा घोड़े को पालतू बनाना शामिल था।
- ताम्र युग के पतन (लगभग 4,250 ईसा पूर्व) और पशुपालक विस्तार के बीच की अवधि में स्पष्ट समझ का अभाव था।
- हाल के अध्ययन से दक्षिण-पूर्व यूरोप में ताम्र युग के किसानों और दक्षिणी यूक्रेन के स्टेपी (लगभग 5,500 ईसा पूर्व से शुरू) के नवपाषाण समूहों के बीच प्रारंभिक संपर्क और सम्मिश्रण का पता चलता है।
- चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान सम्मिश्रण को उत्तर-पश्चिमी काला सागर क्षेत्र में स्थानीयकृत किया गया था और इसका दक्षिणपूर्वी यूरोपीय भीतरी इलाकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

ताम्रपाषाण युग

- ताम्रपाषाण काल, जिसे ताम्र युग भी कहा जाता है, नवपाषाण और कांस्य युग के बीच के अंतराल को पाटता है।
- इसकी विशेषता पत्थर के औजारों और प्रारंभिक धातु, विशेष रूप से तांबे, दोनों का उपयोग है।
- भारत में यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक चला।
- ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्य रूप से पूर्व-हड़प्पा चरण में देखी गई थी, जो कुछ क्षेत्रों में उत्तर-हड़प्पा चरण तक फैली हुई थी।
- लोग पहाड़ियों और नदियों के पास ग्रामीण बस्तियों में रहते थे।
- इस युग के प्रमुख कृषक समुदायों में कायथा, अहार या बनास, मालवा और जोरवे शामिल थे।
- वे पशुपालन और कृषि करते थे, गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग और अन्य दलहन फसलों की खेती करते थे।

आईपीसी की धारा 498ए

संदर्भ: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 46 वर्षीय व्यक्ति को आईपीसी की धारा 498ए मामले में बरी कर दिया क्योंकि शिकायत उसकी 'दूसरी पत्नी' द्वारा की गई थी, जिससे शादी 'अमान्य और शून्य' हो गई।

धारा 498ए के बारे में

- भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए एक विवाहित महिला के प्रति "पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" के आपराधिक मामले से संबंधित है।
- इसे भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की बढ़ती चिंता को संबोधित करने के लिए 1983 में एक संशोधन के रूप में पेश किया गया था।
- इस धारा के तहत, पत्नी के साथ क्रूरता करने पर पति या उसके रिश्तेदारों को तीन साल तक की जेल हो सकती है।
- शब्द "क्रूरता" में ऐसा आचरण शामिल है जो महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकता है या उसके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचा सकता है, साथ ही संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए उसे मजबूर करने के इरादे से उत्पीड़न भी शामिल है।
- धारा 498ए के तहत जमानत संभव है, लेकिन यह केवल पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता के वास्तविक साक्ष्य के साथ धारा 498ए का संयमपूर्वक उपयोग करने पर जोर दिया है, न कि व्यक्तिगत बदला लेने के साधन के रूप में।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए अन्य कानून

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवीए)
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में विभिन्न संशोधन किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - **धारा 354:** महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उनके खिलाफ आपराधिक हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
    - **धारा 354ए:** यौन उत्पीड़न और उसके लिए सज़ा से संबंधित है।
    - **धारा 354डी:** पीछा करना अपराध माना गया है और अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है।
    - **धारा 376:** विभिन्न प्रकार के बलात्कार अपराधों के लिए सख्त प्रावधानों के साथ, बलात्कार के लिए सजा से संबंधित है।
    - **धारा 509:** किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्दों, इशारों या कृत्यों से संबंधित है।
- **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013:** निर्भया मामले के संदर्भ में अधिनियमित, इसने यौन अपराध कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इसने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और एसिड हमलों जैसे अपराधों के लिए सख्त दंड की व्यवस्था की।

टेली-मानस हेल्पलाइन

संदर्भ: अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से, टेली-मानस हेल्पलाइन को 200,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।

- टेली-मानस (Tele-MANAS) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है।
- एनआईएमएचएएनएस (NIMHANS) एनएचआरएससी (NHRSC), आईआईआईटी बेंगलुरु और आईआईआईटीबी के प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ नोडल केंद्र है।
- कॉल करने वालों के लिए भाषा चयन विकल्पों के साथ, टोल-फ्री नंबर 14416 पर सेवाएँ 24x7 उपलब्ध हैं।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक टेली-मानस सेल स्थापित किया जाएगा।
- यह दो-स्तरीय प्रणाली में संचालित होता है: टियर 1 राज्य टेली-मानस सेल के साथ, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं, और टियर 2 डीएमएचपी/मेडिकल कॉलेज संसाधनों के विशेषज्ञों के साथ।

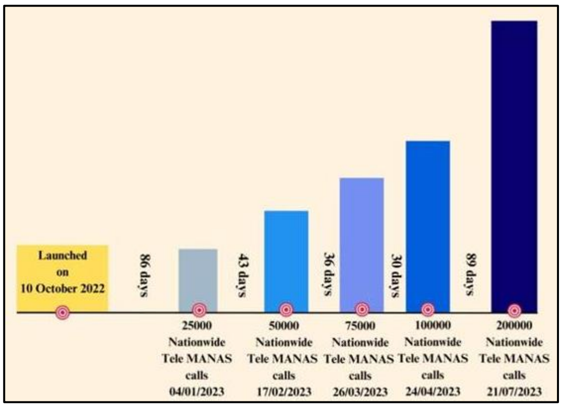

- वर्तमान में, 5 क्षेत्रीय समन्वय केंद्र और 51 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश टेली-मानस सेल हैं।
- प्रारंभिक रोलआउट आईवीआरएस के माध्यम से बुनियादी सहायता और परामर्श प्रदान करता है, जिसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अनुकूलित किया गया है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय टेली-परामर्श, ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और आपातकालीन मनोरोग सुविधाओं जैसी अन्य सेवाओं से जुड़ना है।
- इसका लक्ष्य मानसिक कल्याण और स्वास्थ्य के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल करना और सभी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को एकीकृत करना है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विशेषताएं

- **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या (एबीएचए नंबर):**
    - व्यक्तियों के लिए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को रखने और रोगी की सहमति से उन्हें सिस्टम में प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता।
- **हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर):**
    - आधुनिक और पारंपरिक प्रणालियों से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों का व्यापक भंडार।
    - भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में संपर्कता प्रदान करना।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- **स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर):**
  - अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों सहित सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक भंडार।
- **आभा मोबाइल ऐप (Ayushman Bharat Health Account- ABHA):**
  - स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल, बीमा योजना और एबीएचए नंबर तक पहुंचने के लिए ऐप।
- **एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफ़ेस (यूएचआई):**
  - मरीजों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खुला नेटवर्क।
  - सेवाओं में अपॉइंटमेंट बुकिंग, टेलीपरामर्श और सेवा खोज शामिल हैं।
- **एबीडीएम सैंडबॉक्स:**
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी और उत्पाद परीक्षण के लिए रूपरेखा।
  - डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क में शामिल होने में निजी अभिकर्ताओं और संगठनों की सहायता करना।

अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) फ्रेमवर्क

संदर्भ: निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक आईसीआईसीआई ने हाल ही में प्रावधानित किये गए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) फ्रेमवर्क की ओर बदलाव के लिए अपनी तैयारी की घोषणा की है।

ऋण प्रावधान

- आरबीआई ऋण हानि प्रावधान को डिफ़ॉल्ट ऋणों को कवर करने के लिए बैंकों द्वारा आरक्षित धन के रूप में परिभाषित करता है।
- बैंक इन भंडारों को बनाने के लिए अपेक्षित ऋण पुनर्भुगतान का एक हिस्सा आवंटित करते हैं, जो संभावित नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- नकदी प्रवाह घाटे का सामना करने के बजाय, बैंक किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए इन भंडार का उपयोग कर सकते हैं।
- आरबीआई ने प्रावधानीकरण के लिए वर्तमान "उपगत हानि" दृष्टिकोण से "अपेक्षित क्रेडिट हानि" दृष्टिकोण में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।
- नए दृष्टिकोण का उद्देश्य बैंकों की सुरक्षा और सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि के आधार पर प्रावधान निर्धारित करना है।

ईसीएल फ्रेमवर्क

- प्रस्तावित ईसीएल फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को वास्तविक नुकसान की प्रतीक्षा करने के बजाय भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट घाटे का अनुमान लगाने की आवश्यकता है।
- बैंक अपने क्रेडिट जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर ऋणों को चरण 1, 2, या 3 के रूप में वर्गीकृत करेंगे, चरण 2 और 3 ऋणों के लिए उच्च प्रावधानों के साथ।
- ईसीएल बैंकों को अपेक्षित नुकसान निर्धारित करने के लिए प्रत्येक ऋण के लिए डिफ़ॉल्ट की संभावना और डिफ़ॉल्ट दिए गए संभावित नुकसान का अनुमान लगाने की अनुमति देता है।
- यह दृष्टिकोण मौजूदा हानि प्रावधान के विपरीत है, जो प्रावधानों के लिए एनपीए श्रेणी की अवधि पर निर्भर करता है।

ईसीएल व्यवस्था के लाभ:

- यह पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करता है, जिससे नुकसान के दृष्टिकोण में देखे गए अपर्याप्त प्रावधानों का जोखिम कम हो जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के लिए बैंकिंग प्रणाली के समग्र लचीलेपन को बढ़ाता है।

हानि संबंधी दृष्टिकोण के साथ समस्या

- ईसीएल व्यवस्था ऋण घाटे के लिए समय पर प्रावधान को अनिवार्य बनाती है।
- ऋण घाटे की शीघ्र पहचान अत्यधिक प्रावधानों को रोकती है और बैंक पूंजी की सुरक्षा करती है।
- बेहतर पूंजी आधार बैंकों के लचीलेपन को बढ़ाता है और प्रणालीगत जोखिमों को कम करता है।
- घाटे की पूर्व पहचान बैंकों की आय को बढ़ा-चढ़ाकर बताने से रोकती है।
- यह व्यवस्था स्थिर पूंजी स्थिति का समर्थन करते हुए लाभांश भुगतान के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

NEWS IN BETWEEN THE LINES

लुडविगिया पेरूवियाना

हाल ही में, एक आक्रामक खरपतवार लुडविगिया पेरूवियाना ने हाथियों और उनके आवासों पर अपना व्यापक प्रभाव डाला है।

नाम और उत्पत्ति: लुडविगिया पेरूवियाना, जिसे प्रिमरोज़ विलो के नाम से भी जाना जाता है, मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल प्रजाति है। संभवतः इसके छोटे पीले फूलों के कारण इसे सजावटी पौधे के रूप में भी जाना जाता है।

भौतिक विशेषताएं: यह पौधा 12 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसमें हल्के पीले रंग के फूल होते हैं। एक जलीय पौधे के रूप में, यह विश्व स्तर पर दलदली क्षेत्रों के लिए खतरा उत्पन्न करता है।

तीव्र प्रसार और आक्रामक प्रकृति: लुडविगिया पेरूवियाना आर्द्रभूमियों में तेजी से फैलता है, देशी वनस्पतियों से प्रतिस्पर्धा करता है। यह तमिलनाडु के 22 प्राथमिकता वाले आक्रामक प्रजातियों में से एक है।

पर्यावरणीय प्रभाव: खरपतवार की तीव्र वृद्धि हाथियों और अन्य जानवरों के लिए बारहमासी चारागाह को बाधित करती है। यह उन सभी घास और देशी पौधों की वृद्धि को कम कर देता है जिन पर जानवर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं।

बंधुआ मजदूर

हाल ही में, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया क्योंकि ओडिशा के व्यक्तियों को तमिलनाडु के ईंट भट्ठे में संकट का सामना करना पड़ा था।

बंधुआ मजदूरी क्या है?

बंधुआ मजदूरी जबरन मजदूरी का एक रूप है जहां व्यक्तियों को शोषणकारी परिस्थितियों में फंसाया जाता है, कर्ज चुकाने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यद्यपि यह प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 द्वारा निषिद्ध है।

व्यापकता और क्षेत्र: बंधुआ मजदूरी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद है, जो ईंट भट्ठों, पत्थर खदानों, कोयला खनन, कृषि, घरेलू दासता, सर्कस और यौन दासता जैसे असंगठित उद्योगों में प्रचलित है।

अंतर्राष्ट्रीय दायित्व: भारत सतत विकास लक्ष्य 8.7 के तहत 2030 तक आधुनिक गुलामी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने ILO जबरन श्रम उन्मूलन कन्वेंशन, 1957 (नंबर 105) की पुष्टि भी की है।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- अनुच्छेद 23: बलात् श्रम का निषेध।
- अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध।
- अनुच्छेद 39: राज्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाएगा और आर्थिक दबाव को रोकेगा।

संबंधित विधान:

- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (2016)

मिहिर भोज

हाल ही में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति विवाद को लेकर राजस्थान के गांवों में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मिहिर भोज (लगभग 836-885 ई.), जिन्हें भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, एक गुर्जर-प्रतिहार राजवंश के राजा थे।

उपाधियाँ और भक्ति: वह एक विष्णु भक्त था और उसने "दीवर्हा" की उपाधि ली थी, जो कुछ सिक्कों पर अंकित है।

शासनकाल और राजधानी: उनके शासनकाल की पहचान उनकी राजधानी कन्नौज (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में थी।

विजय: मिहिर भोज एक प्रसिद्ध सेनापति और साम्राज्य निर्माता थे, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों, पालों, राष्ट्रकूटों और अन्य पर उल्लेखनीय जीत हासिल की थी।

उत्तराधिकार: उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना।

सिक्के: उनके सिक्के विभिन्न प्रतीकों और प्रतीकों के साथ विष्णु के "आदिवराह" अवतार को दर्शाते हैं।

चम्बल नदी

हाल ही में, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में किसानों ने सिंचाई के लिए चंबल नदी के पानी की मांग को लेकर कोटा के चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यालय के सामने दो सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन किया।

चंबल नदी के बारे में:

- चम्बल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है।
- यह लगभग 885 किमी (550 मील) लंबी है और विंध्य रेंज से निकलती है।
- चम्बल, यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो स्वयं गंगा की एक सहायक नदी है।
- इसमें चार बांध हैं - गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जाता है।
- चंबल नदी इको-पर्यटन और पक्षी-दर्शन के लिए प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सहायता प्रदान करती है।
- वर्ष 1979 में स्थापित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, मगरमच्छ, कछुए, ऊदबिलाव और नदी डॉल्फ़िन सहित विविध वन्यजीवों का निवास स्थान है।
- हाल के वर्षों में इस नदी को कई प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़ा है, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है।

बेडाक्विलिन 	हाल ही में, दवा-प्रतिरोधी तपेदिक (डीआर-टीबी) उपचार के लिए एक प्रमुख दवा, बेडाक्विलिन पर जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट 18 जुलाई को समाप्त हो गया। **बेडाक्विलिन के बारे में:** ➢ बेडाक्विलिन दवा-प्रतिरोधी तपेदिक (डीआर-टीबी) उपचार के लिए एक मौलिक दवा है। ➢ जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) का बेडाक्विलिन पर पेटेंट 18 जुलाई को समाप्त हो गया, जिससे जेनेरिक निर्माताओं को दवा की आपूर्ति करने की अनुमति मिल गई। ➢ J&J ने उच्च टीबी बोझ वाले देशों सहित 66 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 2027 तक द्वितीयक पेटेंट दायर किया, जिससे इसके एकाधिकार को बनाए रखने पर चिंता बढ़ गई। ➢ तपेदिक एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है, लाखों लोग दवा-प्रतिरोधी और दवा-संवेदनशील टीबी से प्रभावित हैं। ➢ J&J की सहायक कंपनी जैनसेन फार्मास्युटिकल ने बेडाक्विलिन बनाया और यह कई नैदानिक परीक्षण सार्वजनिक और परोपकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित किया गया था। ➢ डीआर-टीबी उपचार के लिए मुख्य दवा के रूप में बेडाक्विलिन के लिए डब्ल्यूएचओ की हालिया सिफारिश अनुसंधान प्रयासों के सामूहिक साक्ष्य पर आधारित है।
जीरो एफआईआर 	हाल ही में, मणिपुर में दो ज़ीरो एफआईआर दर्ज की गई, एक दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना के लिए, और दूसरी दो कुकी-ज़ोमी महिलाओं के कथित अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए। **जीरो एफआईआर क्या है ?** आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के अनुसार, जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत कथित अपराध के लिए दर्ज की गई एक लिखित शिकायत है। **उद्देश्य:** जीरो एफआईआर की अवधारणा यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई थी कि पीड़ितों को अपनी शिकायत दर्ज कराने में देरी का सामना न करना पड़े और एफआईआर दर्ज होने के बाद समय पर कार्रवाई की जा सके। **कार्यान्वयन:** न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने विशेष रूप से 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमों में तेजी लाने और दंड बढ़ाने के लिए जीरो एफआईआर के प्रावधान की सिफारिश की। **प्रक्रिया:** जब किसी पुलिस स्टेशन को किसी ऐसे अपराध के बारे में शिकायत मिलती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वह ज़ीरो एफआईआर दर्ज करता है और इसे आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देता है। **निवारण:** जीरो एफआईआर प्राप्त होने पर, संबंधित पुलिस स्टेशन एक नई एफआईआर दर्ज करता है और कथित अपराध की जांच शुरू करता है।
समाचार में स्थान **हेकिनन**	**सन्दर्भ** : हाल ही में, कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धताओं के मध्य जापान के हेकिनन में जापान का सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली संयंत्र एक अपवाद के रूप में सामने आया है। **स्थान:** हेकिनन आइची प्रान्त में स्थित एक शहर है, जो मध्य जापान के चुबू क्षेत्र में स्थित है। **सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली संयंत्र:** हेकिनन जापान का सबसे बड़े कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इस संयंत्र के पास 400,000 टन का विशाल कोयला क्षेत्र है। **कोयले पर निर्भरता:** कोयले को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद, जापान ने ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले पर अपनी निर्भरता बनाए रखी है। **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** हेकिनन में कोयला आधारित बिजली संयंत्र का निरंतर संचालन पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाता है, क्योंकि कोयला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। **ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियाँ:** जापान को अपनी ऊर्जा माँगों को संतुलित करते हुए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे देश में कोयला बिजली के भविष्य पर बहस छिड़ गई है। **जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव:** कोयले पर जापान का रुख अंतरराष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उसकी प्रगति को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 \| LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 \| RAJENDRA NAGAR: 9205274743 \| UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 \| LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 \| LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 \| GREATER NOIDA: 9205336037, 38 \| KANPUR: 7887003962, 7897003962 \| GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 \| ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com